

[28/7/2022]

प्रश्न सं. [क. 289]

तारांकित प्रश्न क्र. 289
परिशिष्टि (अ)

जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा यातायात नियमों का पालन ना करने पर, म.प्र. मोटर व व्हीकल एक्ट के अनुसार निम्न चार प्रकार के चालान बनाये जाते हैं।

S.N.	Traffic Violation Type	Act	Fine Amount (In Rs.)
1.	Violation of Red Light at Traffic Junction	119	500.00
2.	Not wearing Helmet on two wheeler	129	250.00
3.	Triple Riding	128	500.00
4.	Speed Violation	112/183	1000.00

कंपनी सचिव

जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड

अनुभाष अधिकारी

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

देवेन्द्र सिंह चौहान
सहायक संचालक

तारांकित प्रश्न क्र. 289
परिशिष्ट (ख)

जबलपुर स्मार्ट सिटी द्वारा यातायात के नियमों का पालन न करने पर जारी ई-चालान की वसूली के लिए लगातार प्रयास किये जाते हैं।

1. सर्वप्रथम चालान बनते ही यदि वाहन मालिक का मोबाइल नंबर मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग के डाटाबेस में अपडेट है तो उसे ई-चालान का sms भेजा जाता है, जिसमें दिए गए लिंक के माध्यम से वह अपना चालान देख भी सकता है एवं उसका भुगतान भी ऑनलाइन ही कर सकता है।

2. समस्त बनाये गए चालान रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से सम्बंधित वाहन मालिक को प्रेषित किये जाते हैं।


3. चालान जमा ना करने की स्थिति में पुनः रिमाइंडर SMS 15 दिन के अंतराल में भेजा जाता है।

4. इसके अतिरिक्त कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से उन्हें कॉल के माध्यम से भी चालान की जानकारी प्रदान कर उसके भुगतान के लिए प्रेरित किया जाता है।

काफी समय से लंबित चालान जिनका भुगतान शेष होता है उनकी सूची बनाकर यातायात थाने को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी जाती है।

दिनांक 08-07-2022 तक कुल 371010 ई चालान बनाये जा चुके हैं एवं रुपये 3,60,07,250.00 की चालान राशि वसूल की जा चुकी है।


अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरपालिका विकास एवं पर्यावरण विभाग


कंपनी सचिव
जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड

